प्रेस विज्ञप्ति
27.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी, उसकी समूह संस्थाओं और अन्य के विरुद्ध 30.07.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने इस मामले में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और समूह संस्थाओं को 07.08.2025 को नोटिस जारी किए हैं।

ईडी ने सैकड़ों पीड़ित घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर, आर्थिक अपराध शाखा, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। शिकायतों में गुरुग्राम के सेक्टर-89 स्थित ग्रीनोपोलिस परियोजना में डेवलपर्स द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। आर्थिक अपराध शाखा ने जाँच के बाद कई मुख्य आरोप पत्र दायर किए हैं और मामला वर्तमान में साकेत कोर्ट में आरोप तय करने के लिए लंबित है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2011 में गुरुग्राम में ग्रीनोपोलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक संयुक्त विकास समझौता किया था। यह प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च हुआ था और इसमें 29 टावरों में 1,700 से ज़्यादा फ्लैट शामिल थे। घर खरीदारों से 1,100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि वसूलने के बावजूद, जो कई मामलों में कुल लागत का 90% से भी ज़्यादा है, डेवलपर्स आज तक कब्ज़ा देने में नाकाम रहे हैं। 2016 में निर्माण कार्य लगभग ठप हो गया था और केवल नाममात्र ढाँचे ही खड़े किए गए थे। ईडी ने पाया कि 3सी ग्रुप की संस्थाओं द्वारा घर खरीदारों के 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि विभिन्न धोखाधड़ी के ज़रिए गबन और अन्यत्र भेजी गई।

इसके अलावा, जांच में पाया गया कि फंड को संबंधित कंपनियों में डायवर्ट किया गया, थ्री सी शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलकाता स्थित शेल संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया, और ग्लोबस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक इन-हाउस ठेकेदार के माध्यम से फर्जी बिलिंग के जरिए निकाला गया। ग्लोबस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हरमीत सिंह ओबेरॉय प्रमोटर निर्मल सिंह के बहनोई हैं। मुख्य कंपनी से फंड निकालने के बाद, ग्लोबस कंस्ट्रक्शन के शेयरों को फिर से डेवलपर के प्रमोटरों को उपहार में दिया गया। इसके अलावा, जांच से पता चला कि लगभग 214.09 करोड़ रुपये समूह संस्थाओं में डायवर्ट किए गए, 131.46 करोड़ रुपये एनयू रुचि बार्टर प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता स्थित शेल कंपनी के माध्यम से, 125.67 करोड़ रुपये ग्लोबस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निकाले गए, उपरोक्त डायवर्जन के लिए, आरोपी संस्थाओं ने खातों की पुस्तकों में हेरफेर किया, कई फर्जी संस्थाओं (विशेष रूप से कोलकाता स्थित) और नकली लेनदारों के माध्यम से धन इकट्ठा किया और संबंधित पक्ष फर्मों के माध्यम से धन निकाला।

इससे पहले, **25.11.2024** को पीएमएलए की धारा **17** के तहत विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़ और अन्य अचल संपत्तियाँ जब्त की गईं। इसके बाद, जाँच के दौरान पीएमएलए की धारा **5(1)** के तहत जारी दो अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से **506.45** करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की की गई। ईडी ने साकेत स्थित विशेष न्यायालय में कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है।